

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1(40)एमई/ग्रुप-1/2014

जयपुर, दिनांक

11 AUG 2021

--: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.08.2021 द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पदों की अधिकतम संख्या (Ceiling) के नियतन हेतु मानदण्ड (Norms) निर्धारित किए गए हैं।

इस क्रम में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पदों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	मेडिकल कॉलेज का नाम	वर्तमान में अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पदों की संख्या	अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पदों की अधिकतम संख्या (Ceiling)
1.	मेडिकल कॉलेज, अजमेर	3	4
2.	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	3	4
3.	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	6	7
4.	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	3	5
5.	मेडिकल कॉलेज, कोटा	3	4
6.	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	2	4

आज्ञा से

11/8/21  
(सुनील शर्मा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

11/8/2021  
(अशोक कुमार सोनी)  
शासन उप सचिव